उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-7/2019/263/71-2-2019-पी-15/2007
लखनऊः दिनांक 01 फरवरी, 2019

कार्यालय आदेश

सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ के नियम-16.4.1 मे उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में डा0 राजा रॉय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मालिक्यूलर डायग्नोस्टिक एण्ड फिनोमी रिसर्च, सी0बी0एम0आर0 को अपने पदीय कर्तव्यों/दायित्वों के साथ-साथ निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार निदेशक की नियमित नियुक्ति होने या अग्रिम आदेशां तक जो भी पहले हो तक, प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार के सम्बन्ध में कोई वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा डा0 रॉय द्वारा संस्थान के नीतिगत विषयों पर कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-7 /2019/263(1)71-2-19-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
3- निदेशक, सी0बी0एम0आर0, उ0प्र0 लखनऊ।
4- डा0 राजा रॉय प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मालिक्यूलर डायग्नोस्टिक एण्ड फिनोमी रिसर्च, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
5- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0/अध्यक्ष, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
6- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in